



Common School System(CSS)

सामान्य विद्यालय प्रणाली (CSS)

CSS के अनुसार- "सामान्य शिक्षा प्रणाली (CSS) का अर्थ है जाति, पंथ, समुदाय, भाषा, लिंग, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शारीरिक और मानसिक क्षमता के बावजूद सभी बच्चों को समान गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षा प्रणाली।"

प्रत्यय एवं अवधारणा

सामान्य स्कूल का अभिप्राय समावेशी स्कूल से है, जहाँ समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि- सामान्य विद्यालय में बाधित व सामान्य बालकों को शिक्षा प्रदान की जाए। ऐसी शिक्षा का आधुनिक युग में विशेष महत्व है।



प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री Horace Mann, संसार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने **सामान्य स्कूल नामक प्रत्यय का इस्तेमाल किया**। इन्होंने इस प्रत्यय का प्रयोग उन स्कूलों के लिये किया जो सरकार के द्वारा सहायता प्राप्त थे और जिनमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता था। और समाज के सभी वर्गों के विद्यार्थियों का प्रवेश लिया जाता था और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। Horace Mann, ने यह घोषणा की कि यह स्कूल समान शैक्षिक अवसर मुहैया कराने में सहायक होंगे और साथ ही साथ समाज के वर्ग विभेद के उन्मूलन में सहायक होंगे। कुछ वर्षों बाद यह प्रत्यय कनाडा, जापान, यूरोपीय देशों से इस्तेमाल में आया।

सामान्य स्कूल प्रणाली के सन्दर्भ में विभिन्न आयोगों द्वारा की गयी

सिफारिशें-

सामान्य स्कूल प्रणाली पर सबसे पहले विचार कोठारी आयोग द्वारा किया गया उसके पश्चात राममूर्ति समिति द्वारा विचार किया गया और इस पर की गई सिफारिशें निम्न हैं-

कोठारी आयोग-

सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डा **दौलत सिंह कोठारी** की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डा कोठारी उस समय **विश्व विद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे**। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग(1964-1966) या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत सरकार का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिये।



हमारे देश में कॉमन स्कूल पर विचार विमर्श सबसे पहले कोठारी आयोग द्वारा किया गया जो कि (1964-1966) में आया था। इस आयोग ने शैक्षिक अवसरों की समानता पर बहुत जोर दिया और साथ ही साथ इसको मूर्त रूप देने के लिए इसकी बहुत सी सिफारिशों की इनमें से एक कामन स्कूल सिस्टम को देश में शुरू करने की भी सिफारिश की। कोठारी कमीशन ने इन स्कूलों का नाम पड़ोसी विद्यालय के नाम से रखा।

आयोग के अनुसार- ऐसे विद्यालय होंगे जिनमें कि सभी जातियों के विद्यार्थी, सभी धर्मों के विद्यार्थी, सभी सामाजिक और आर्थिक वर्गों के विद्यार्थी जो आस-पड़ोस के क्षेत्रों में रह रहे हों वो साथ-साथ पढ़ेंगे और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बराबर-बराबर दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1968) ने देश में आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एक सामान्य विद्यालय प्रणाली शुरू करने की घोषणा की।

यद्यपि इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया। सामान्य स्कूल प्रणाली एकमात्र विकल्प देश के सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए यह भी जरूरी था या है कि देश में कानून बनाकर पड़ोसी स्कूल पर आधारित सामान्य स्कूल प्रणाली लागू की जाए। इसका मतलब यह है कि एक गाँव या एक मोहल्ले के सारे बच्चे (अमीर या गरीब लड़के लड़की किसी भी जाति या धर्म के) एक ही स्कूल में पढ़ेंगे आयोग द्वारा यह अनुभव किया गया कि इसी तरीके से शिक्षा में सामाजिक एवं सामानता को बढ़ावा दिया जा सकता है।

पड़ोसी स्कूल के पक्ष में बात करते हुए शिक्षा आयोग कोठारी आयोग ने उसके पक्ष में दो तर्क दिये हैं-

- 1- इस प्रकार की स्कूल स्थापना से सभी शक्तिशाली लोग सार्वजनिक शिक्षा तथा उसमें सुधार का प्रयास करेंगे।
- 2- विद्यालयों में सामाजिक अलगाव को समाप्त करने हेतु अच्छी शिक्षा जिसके अनुसार एक पड़ोसी विद्यालय बच्चों की अच्छी शिक्षा का एक आवश्यक अंग सामान्य लोगों के साथ मेल जोल है।

सामाजिक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग ने कुछ ठोस सुझाव देते हुए देश के सामान्य स्कूल प्रणाली की वकालत की और कहा कि सामान्य स्कूल प्रणाली पर ही एक राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार हो सकेगी जहां सभी वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज के ताकतवर लोग सरकारी स्कूल से भागकर प्राइवेट स्कूलों की ओर चले जायेंगे तथा पूरी प्रणाली भी छिन्न भिन्न हो जायेगी। 1970 के बाद से ही सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में तेजी से गिरावट हुआ है। आज स्थिति यह है कि ऐसे स्कूल गरीबों के लिए समझे जाते हैं।


कोठारी आयोग द्वारा जारी सिफारिश के बाद संसद 1968,1986,1992 के शिक्षा नीतियों में सामान्य स्कूल व्यवस्था का उल्लेख तो करती है लेकिन उसे लागू नहीं करती। दूसरी तरफ सरकार की विभिन्न योजनाओं के अर्थ भी भिन्न-भिन्न है जैसे की कुछ योजनाएं शिक्षा के लिए चल रही है तो कुछ साक्षरता को बढ़ाने के लिए।

इसके बदले सरकार कुछ ऐसी योजनाएं क्यों नहीं चलाती जो सामाजिक और आर्थिक हैसियत के अंतर लिहाज किये बिना सभी बच्चों के लिए स्कूल खुला रहे चाहे वो धनी वर्ग के हों या गरीब वर्ग, सब साथ बढ़ें। असल में सामान्य स्कूल व्यवस्था एक ऐसे स्कूल की अवधारणा है जो योग्यता के आधार पर ही शिक्षा हासिल करना सिखाती है। इसमें न तो धन आता है न शौहरत है , न ट्यूशन , न ही फीस, न प्रलोभन का कोई स्थान है।

राममूर्ति समिति द्वारा की गई सिफारिशें

1986 की नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करते हुए राममूर्ति समिति (1990) ने सामान्य स्कूल प्रणाली के विकास को शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए समग्र रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक माना।' समिति ने तीन बहुत महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में समानता के मुद्दे को संबोधित कर सकती थीं।



- 
- A desk with a globe, a pencil, and rolled-up documents. The background is a warm, golden light. The text is overlaid on the right side of the image.
1. इसने 'आवश्यक न्यूनतम कानून, विशेष रूप से प्रारंभिक चयन प्रक्रिया, शिक्षण शुल्क, कैपिटेशन शुल्क आदि के साथ दूर करने के लिए कहा'
 2. इसने सुझाव दिया, 'प्रोत्साहन, प्रोत्साहन और कानून के संयोजन के माध्यम से महंगे निजी स्कूलों को आम स्कूल प्रणाली में शामिल करने के तरीके तलाशना।'
 3. इसने यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि सभी के लिए पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्तरों पर मातृभाषा के माध्यम से निर्देश दिया जाए।

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का

मत-

शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, 1986 कहती है:

संविधान उन सिद्धांतों का प्रतीक है जिन पर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की कल्पना की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा का तात्पर्य है कि किसी दिए गए स्तर तक, जाति, पंथ, स्थान या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी छात्रों की समान गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच है... सामान्य शिक्षा की दिशा में प्रभावी उपाय किए जाएंगे।

सामान्य स्कूल प्रणाली की भ्रांतियाँ (निजी स्कूल का

मुद्दा)

सीएसएस के बारे में तीन व्यापक भ्रांतियाँ हैं, जिन्हें अक्सर इसके विरोधियों द्वारा प्रचारित किया जाता है, जिनसे हमें आगे बढ़ने से पहले निपटना चाहिए।

1. सीएसएस को एक समान स्कूल प्रणाली के रूप में गलत समझा जाता है ।
2. यह गलत तरीके से दावा किया गया है कि सीएसएस एक निजी तौर पर प्रबंधित स्कूल को अपने गैर-सरकारी और गैर-सहायता प्राप्त (या सहायता प्राप्त) चरित्र को बनाए रखने की अनुमति नहीं देगा ।
3. निजी स्कूल लॉबी ने यह दावा करते हुए ओवरटाइम काम किया है कि सीएसएस का मतलब स्कूलों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण होगा ।



css के ढाँचें के सिद्धान्त

- 1.स्कूली शिक्षा की प्रणाली को संविधान की दृष्टि में निहित किया जाना है। इसका तात्पर्य यह है कि, प्रस्तावना के अनुरूप होने के दौरान, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि (ए) मौलिक अधिकार, विशेष रूप से समानता और सामाजिक न्याय से संबंधित, जैसा कि भाग III में निहित है, का उल्लंघन नहीं किया जाता है और (बी) निदेशक सिद्धांतों के रूप में निर्धारित किया गया है भाग IV को बढ़ावा दिया जाता है।
- 2.समान गुणवत्ता वाली शिक्षा एक संवैधानिक अनिवार्यता है।
- 3.शिक्षा का उपयोग मुनाफाखोरी, वैमनस्य फैलाने या अधीनता का अभ्यास करने के लिए नहीं किया जाता है।
- 4.समाज में असमानता, भेदभाव और अन्याय को बढ़ावा देने वाले स्कूलों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

सामान्य विद्यालय प्रणाली की विशेषताएं

1. प्री-एलिमेंटरी से प्लस टू स्टेज का कवरेज
2. बिल्कुल मुफ्त शिक्षा
3. पड़ोस के स्कूल बनाना
4. प्रवेश के लिए वैध आधार
5. न्यूनतम मानदंड और मानक
6. सामान्य पाठ्यक्रम ढाँचा
7. भाषा नीति
8. विकेन्द्रीकृत स्कूल-आधारित प्रबंध
9. सभी के लिए सामान्य परीक्षा बोर्ड



सामान्य स्कूल प्रणाली की आवश्यकता-

शिक्षा के स्तर को बढ़ाना।

सामाजिक समानता।

शिक्षा की सार्वभौमिकता।

रोजगारों के अवसरों में वृद्धि।

राष्ट्र की प्रगति।

संवैधानिकता उत्तरदायित्व का निर्वाह।

लोकतांत्रिक गुणों का विकास।

आधुनिक तकनीकों को प्रयोग।

Thank you!

